

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई
कार्रवाई के बारे
में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-246/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री सोनु माली उर्फ पंकज कु० मालाकार — विक्रेता
प्रति
श्री अरुण कुमार चौधरी — क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री सोनु माली उर्फ पंकज कुमार मालाकार, पिता-स्व० सरयू माली, ग्राम-रंका कला, पोस्ट-रंका राज, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री अरुण कुमार चौधरी, पिता-स्व० भोला चौधरी, ग्राम-रंका कला, पोस्ट-रंका कला, थाना-रंका, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है।

उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 359/दिनांक 16.08.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, रंका का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा रामअवतार माली के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के माली (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री रामलाल राम, पिता-सरयू माली, ग्राम-रंका कला, पोस्ट-रंका राज, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री अरुण कुमार चौधरी, पिता-स्व० भोला चौधरी, ग्राम-रंका कला, पोस्ट-रंका कला, थाना-रंका, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
रंका कला	83	पुराना-62 नया-392	पुराना-1330 नया-1864	0.01	उ०-अशोक माली, द०-रविन्द्र माली, पू०-गौरक्षण सिंह,
		पुराना-62 नया-392	पुराना-1331 नया-1865	0.02½	प०-पक्की सड़क,
कुल रकबा:-				0.03½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्ता,
गढ़वा